भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *124

उत्तर देने की तारीख 30 जुलाई, 2026

8 श्रावण, 1948 (शक)

युवा सशक्तीकरण

***124 श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर-मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

युवा सशक्तिकरण के संबंध में श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक द्वारा दिनांक 30.07.2026 के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 124 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क) और (ख): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, दिव्यांगजनों एवं महिलाओं के लिए खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार देशभर में खेलों के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। ये स्कीमें निम्नानुसार हैं:

(i) खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
(iii) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के पदक विजेताओं एवं उनके कोचों को नकद पुरस्कार;
(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
(v) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन;
(vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
(vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
(viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; तथा
(ix) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)।

इन स्कीमों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट (https://yas.nic.in) पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार निम्नलिखित पहलों के माध्यम से महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है:

- पैरा खेलों, बधिर खेलों एवं विशेष ओलंपिक से जुड़े राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) सहित सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रशिक्षण, कोचिंग, उपकरण, प्रतियोगिता एक्सपोजर तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- महिला एथलीटों एवं पैरा-एथलीटों को भी खेलो इंडिया स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) कार्यक्रम जैसी स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।
- खेल विभाग द्वारा विकसित खेल अवसंरचनाओं में दिव्यांगजनों की सुगम पहुँच सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं।
- गांधीनगर स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) भारत में पैरा-खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु एक प्रमुख विशेषीकृत प्रशिक्षण केंद्र है। यह अत्याधुनिक केंद्र पैरा-एथलीटों के लिए समर्पित आवासीय सुविधा, उच्च प्रदर्शन क्षमता वाले स्ट्रेनथ एवं कंडीशनिंग हॉल तथा विशेषीकृत खेल विज्ञान केंद्रों से सुसज्जित है, जो पैरा-एथलीटों को वैश्विक स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं।
- अस्मिता (अचिविंग स्पोर्ट्स माइल्स्टोन बाई इन्स्पाइरिंग वूमेन थ्रू एक्शन) पहल देशभर में महिला एथलीटों के लिए लीगों का आयोजन कर खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु समर्पित है।
- साई ने महिला एथलीटों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा उनके लिए अनुकूल प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने हेतु महिला-विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र (एनसीओई धर्मशाला, एसटीसी बादल, एसटीसी टेलिचेरी एवं एसटीसी सोललगांव) भी स्थापित किए हैं।
- पैरा-एथलीटों को स्वीकृत मानदंडों के अनुसार प्रतियोगिताओं में भागीदारी एवं प्रशिक्षण अनुभव हेतु विशेष यात्रा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा-एथलीटों को अपनी खेल उत्कृष्टता एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं के प्रदर्शन हेतु एक समर्पित मंच प्रदान करते हैं। पैरा-एथलीटों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाता है।
- खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत, पैरा-एथलीटों एवं महिला एथलीटों सहित खेलो इंडिया एथलीटों को ₹6.28 लाख प्रति वर्ष का वित्तीय पैकेज प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत एवं आकस्मिक व्ययों के प्रबंधन हेतु ₹10,000 प्रतिमाह का

आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (ओपीए) शामिल है जो सीधे एथलीट को प्रदान किया जाता है।

(ग) इस मंत्रालय की प्रमुख पहल फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत 'नशा मुक्त भारत अभियान' को जन-जागरूकता के एक प्रमुख घटक के रूप में एकीकृत किया गया है। 'फिट इंडिया अभियान' के अंतर्गत आयोजित 'संडेज़ ऑन साइकिल' कार्यक्रम के प्रतिभागियों को नशा मुक्त रहने का संकल्प दिलाया जाता है, जिसके माध्यम से वे नशामुक्त जीवनशैली अपनाने की प्रतिबद्धता लेते हैं।

यह मंत्रालय, माय भारत के माध्यम से, नशामुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु देशव्यापी युवा जन-आंदोलन के रूप में 'विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा' अभियान का क्रियान्वयन कर रहा है। इस अभियान की शुरुआत 18–20 जुलाई, 2025 के दौरान वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन से हुई, जिसमें 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 550 से अधिक युवाओं ने भाग लिया तथा इसके समापन पर 'काशी संकल्प' को अंगीकृत किया गया। इसके उपरांत इस अभियान का विस्तार 2,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित राष्ट्रव्यापी युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलनों, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), शिलांग में मई, 2026 में आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय चिंतन शिविर तथा देशव्यापी 'विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा' अभियान के माध्यम से किया गया। माय भारत सहयोगी संस्थाओं के ऑनबोर्डिंग, स्वयंसेवकों को एकजुट करने, कार्यक्रम प्रबंधन तथा नशा-विरोधी अभियानों के संचालन हेतु राष्ट्रीय डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु नोडल मंत्रालय है तथा नशे की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन करता है। इस ढ़ांचे के अंतर्गत, मंत्रालय निवारक शिक्षा, प्रारंभिक हस्तक्षेप एवं व्यापक उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इन प्रयासों को परामर्श, नशामुक्ति, युवाओं के लिए सहकर्मी कार्यक्रमों तथा समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाले विशेष केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान नामक जागरूकता अभियान का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों पर विशेष बल देते हुए समुदाय आधारित जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है।
